Form No 111
फर्म अहकाम
(नियम 15)

अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम.:– राजाखेडा

विजय सिंह बनाम राजन सिंह वगै0

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA .नम्बर...सन्......................

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2022	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं वकील सायल को सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एंव सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सालयान दिनांक 15.06.2022 तक के लिए जारी कर गैर सायलान को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 705, 695 स्थित ग्राम बाबरपुर तहसील राजाखेडा पर रहन वय मुंतकिल नहीं करे, सायल के कब्जे काश्त में बाधा नहीं करें, रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। यदि इस संबंध में अन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 15.06.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। तहसीलदार राजाखेडा को वास्ते तामील परवाना जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.06. 2022 को पेश हो। (initials)	
24/5/22	पत्रावली पेश हुई। सायल द्वारा मूल वाद प्रार्थना कोर्ट के आधार पर खारिज करा लिया है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA मूल वाद की रोशनी में खारिज किया जाता है। तदानुसार TDR Rajakhera को दिनांक 16-5-2022 को जारी स्थगन आदेश को खारिज किये जाने बाबत परवाना जारी हो। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (initials)	विजयसिंह Identified (signature) 24/5